

16/8/22

श्री. प्रेमचंद लाल शर्मा जी के द्वारा दायित्व की
आवेदन के मातहत न्यायालय के अंतर्गत
विद्यमान कर्मचारी के विरुद्ध
कि पल्लवगण के मातहत न्यायालय को
घातक आर्थिक नुकसान नहीं होना है
वकील जी के निवेदन पर न्यायालय
शर्मा जी को न्यायालय के अंतर्गत
रखा है।

[Signature]

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

